राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांक :– प.7 (103) परि/नियम/मु./1994/14379 जयपुर, दिनांक :– 29.07.2015

कार्यालय आदेश 23/2015

विभाग द्वारा राज्य में कार्यरत वाहन विक्रेता/ट्रैडधारक, जो पंजीयन कार्य हेतु अधिकृत हैं, के द्वारा विक्रित की जाने वाले वाहनों से प्राप्त कर को कार्यालय आदेश संख्या 34/2004 (समय–समय पर यथा संशोधित) अनुसार 3 दिवस में जमा कराया जाना निर्धारित किए जाने के उपरांत भी प्राप्त टैक्स को जमा कराने में अनावश्यक विलंब किया जाता है। अतः इस संबंध में कार्यालय आदेश संख्या 34/2004 में आंशिक संशोधन करते हुए निम्न आदेश प्रसारित किए जाते हैं :–

" डीलर द्वारा वसूली गयी कर राशि उसी दिन (प्राप्ति के दिन) बैंक में ई–ग्रास (E-Gras) चालान द्वारा जमा करवाई जावेगी। उक्त अवधि में पड़ने वाले राजकीय अवकाश के दिनों को शामिल नहीं किया जावेगा। "

(गायत्री राठौड़)
परिवहन आयुक्त
एवं शासन सचिव

प्रतिलिपि :–

क्रमांक :– प.7 (103) परि/नियम/मु./1994/14380 – 385 जयपुर, दिनांक : 29.07.2015

1. निजी सहायक, परिवहन आयुक्त एवं शासन सचिव ।
2. समस्त मुख्यालय अधिकारीगण ....।
3. समस्त अपर परिवहन आयुक्त (जोन) ....।
4. समस्त प्रादेशिक/अति. प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी ....।
5. श्री संजय सिंघल, एनालिस्ट कम प्राग्रामर को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु ।
6. रक्षित पत्रावली।

अपर परिवहन आयुक्त (नियम)